IJNRD.ORG ISSN : 2456-4184
INTERNATIONAL JOURNAL OF NOVEL RESEARCH AND DEVELOPMENT (IJNRD) | IJNRD.ORG
An International Open Access, Peer-reviewed, Refereed Journal

भ्रष्टाचार उन्मूलन में प्रशासन की भूमिका

डॉ. महेंदर सिंह
एसोसिएट प्रोफेसर ,राजनीतिक शास्त्र विभाग
नीलम यूनिवर्सिटी,कैथल, हरियाणा

मीरा कटारिया
शोधार्थी ,राजनीतिक शास्त्र विभाग
नीलम ,यूनिवर्सिटी,कैथल ,हरियाणा

सार

कोई भी गतिविधि या गैर-गतिविधि जो शासन में अक्षमता और राज्य के राजस्व की हानि का कारण बनती है वह चिंता का विषय होता है और अधिकतर मामलों मेंवह भ्रष्टाचार के साथ निकटता से सम्बंधित होता है । यद्यपिअक्षमता और भ्रष्टाचार दोनों तत्व साथ-साथ चलते हैं,जहां भ्रष्टाचार एक ओर एक ऐसे वातावरण का निर्माण करता है जिसे कि अकुशल कार्यों को प्रोत्साहन मिलता है, वहीं दूसरी ओर अक्षमताएं और अपव्यय भ्रष्ट आचरण को प्रोत्साहित करते हैं। क्यूंकि एक समस्या से छुटकारा पाने के लिए दूसरी समस्या को ख़त्म करना संभव नहीं हो सकता है, लेकिन वे दोनों अंतर्निहित शक्तियों के समान समूह के परिणाम हैं| भ्रष्टाचार का स्वरुप विश्व में न केवलबहुत तेज़ी से बढ़ रहा है अपितु यहसर्वव्यापीभी हो गया है|राज्य के एजेंटों के साथ शायद ही कोई बातचीत ऐसी होगी जो , रिश्वत के अंतर्निहित विचार से मुक्त होती है। ऐसा माना जाता है कि राज्य के निर्णय और कार्य भ्रष्टाचार से मुक्त हैं लेकिन यह सभी के लिए अपवाद और आश्चर्य का मुद्दा हैं। यही कारण है कि आज आम जनता और सरकारी सेवकों के मध्य मेंदिनों- दिन एक तकरार की खाई बढ़ती ही जा रही है| शायद ही प्रशासन का कोई ऐसा क्षेत्र है जो इस महा भ्रष्टाचारकी विशाल छाया से अपने को वंचित रख पाया हो|भारतीय समाज में चारों ओर भ्रष्टाचार का बोलबाला है और भारत की सीधी जनता उसे बर्दाश्त करती जा रही है| भ्रष्टाचार प्रशासनिक आचरण में अवैधता और व्यवहारिक आचरण मेंअनैतिक तत्वों , व्यक्तिपरकता,सामाजिक असमानता, अन्याय एवं अक्षमता इत्यादि कुरीतियों को बढ़ावा देता है। यह समाज के नैतिक ताने-बाने को नष्ट करने में एक प्रमुख भूमिका निभाता है और राजनीतिक-प्रशासनिक व्यवस्था की वैधता में आम आदमी के विश्वास को खत्म कर देता है।

मुख्य शब्द :---- प्रशासन,अक्षमताएं, प्रोत्साहित, सर्वव्यापी,समूह, अधिकता,अपवाद

भूमिका

वर्तमान समय में संपूर्ण भारतीय समाज में भ्रष्टाचार फैला हुआहै| सार्वजनिक सेवाओं से लेकर निजी जिंदगी तक अनेक प्रकार के भ्रष्टाचार पाए जाते हैं|भारतीय प्रशासन का सबसे बड़ा दुर्भाग्य भ्रष्टाचार रहा है | भारतीय प्रशासन में भ्रष्टाचारअधिकता और बढ़ गई है|किसी भी सरकारी विभाग में ऐसे लोगों की कोई कमी नहीं है, जो अपने को स्वार्थ को पूरा करने के लिए जनहित की ज़रा सी भी परवाह नहीं करते है|सर्वविदित रूप से यह माना जाता है, कि "बुराइयों को बर्दाश्त करने का अभिप्राय बुराइयों का प्रचार करना है"|

भ्रष्टाचार की समस्या कोई ताज़ा घटनाक्रम नहीं है न ही यह समस्या एक रात में उत्पन्न हुई है| इसे सही अर्थो में एक विचलित मानवीय व्यवहार के रूप में परिभाषित किया जाता है, जो सार्वजनिक व्यय पर निजी लाभ की प्रेरणा से जुड़ा है औरयहसदियों से इस वयस्था पर कायम है।भारतीय इतिहास में आधिकारिक भ्रष्टाचार की व्यापकता के कई उदहारण मिलते हैं।लेकिन कौटिल्य का अर्थशास्त्र में इसके बढ़ते हुए खतरा का विस्तृत विवरण दिया गया है| इसमें यह स्पस्ट किया गया है कि राज्य को क्या होना चाहिए, न कि यह वास्तव में क्या था? भ्रष्टाचार को स्वयं में कई तरीकों से परिभाषित किया जाता है, जिसमें नैतिकता एवंनैतिक आचरण , जिम्मेदारी और जवाबदेही ,इसमें निर्वाचित अधिकारी, नेता, नौकरशाही, राज्य के स्वामित्व वाले उद्यमों के कर्मचारी और यहां तक कि पैरास्टेटल की अवधारणाएं भी शामिल हैं।

भारत एक महाशक्ति का मुकाम हासिल करने की राह पर अग्रसर है लेकिन यह बिना ईमानदार सरकार के और समाज में कैंसर की तरह फ़ैल चुके भ्रष्टाचार के खात्मे के बिना संभव हो सकता है|भारत में प्रत्येक वर्ष, 3 ट्रिलियन डॉलर से अधिक का भुगतान रिश्वत के रूप में किया जाता है या फिर इस पैसे को भ्रष्ट अधिकारियों द्वारा चुराया जाता है।

भ्रष्टाचार के बढ़ते हुए स्तर और अहितकारी प्रवृत्ति से प्रभावित होते समाज और अर्थव्यवस्था में गड़बड़ी की वजह से भारत भ्रष्टाचार को निरंतर कम करने की दिशा में लगातार कार्यरत है| भारत की राजनीति में पहली बार 1963 से इस दिशा में एक गंभीर प्रयास किया गया था| जब देश में मुँदरा भ्रष्टाचार स्कैन्डल हुआ था उसके पश्चातनेहरू सरकार ने एक इन्क्वायरी समिति का गठन किया था जिसे संथानम कमेंटी कहा जाता है |इस कमेंटी ने देश में बढती हुई लाल फीताशाही और प्रशासन में बढ़ते भ्रष्टाचार के मामले के अलावाभ्रष्टाचार के अन्य स्त्रोतों का भी बहुत बारीक़ी से परीक्षण किया था | इस कमेंटीने भ्रष्टाचार निरोधक संस्था के रूप में एक केन्द्रीय निगरानी कमिशन का गठनकरके कुछ उल्लेखनीय निष्कर्ष भी प्रदान किये थे|इतना ही नहीं , 1971 में भारत सरकार ने भ्रष्टाचार को रोकने के लिए देश में नियंत्रक एवं ऑडिटर जनरल की नियुक्ति की, जिसका मुख्य उदेश्य प्रमुख सरकारी और गैर- सरकारी संस्थानों के पब्लिक फाइनैन्स की ऑडिट करना था ताकि और भ्रष्ट अभ्यासों की घटनाओं पर अंकुश लगाया जा सके|अपने लाभ के लिए सार्वजनिक कार्यालय का दुरुपयोग करना , प्रशासन में अनिमियता और पारदर्शिता की कमी भ्रष्टाचार को अधिक अवसर प्रदान करती है| भ्रष्टाचार लोगों को गरीबी से बाहर निकालने की राज्यों की क्षमता और पहल को कमजोर कर देता है। यह एक ऐसी संक्षारक शक्ति है जो देश की आर्थिक क्षमता का मार्ग अवरुद्ध कर देती है।

भारतीय प्रशासन में भ्रष्टाचार

आज भ्रष्टाचार व्यापक स्तर पर अपनी जड़ें जमा चुका है, जोन केवल सामाजिक नैतिकता को कमज़ोर बनाता है अपितु राजनीतिक तथा प्रशासनिक प्रणालियों में विश्वास को भी ख़त्म कर देता है। इसके साथ-साथ भ्रष्टाचार आर्थिक विकास का मार्ग बाधित करके असमानता को बढ़ाता है और समाज के लोकतांत्रिक मूल्यों को कमजोर करता है। भारत में भ्रष्टाचार छोटी रिश्वत से लेकर बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी तक विभिन्न रूपों व्याप्त है।

भ्रष्टाचार के दायरा का पता लगाना अत्यन्तकठिन कार्य है|नेहरु जी द्वाराबनाई गई संथानम समिति के प्रतिवेदन में यह स्पष्ट रूप से कहागया है कि- "भारतीय शासन प्रणाली में कितने व्यक्ति भ्रष्टाचार में संलिप्त है या फिर कितने प्रतिशत धन अवैधतरीकों से पुरस्कार के रूप में दिया जाता हैइसका अनुमान लगाना अत्यधिक कठिन कार्य है। इस सामाजिक बुराई के सम्बन्ध में शासकीयसाख्यिकी आकड़े इसके विस्तार का सही से आकलन नहीं कर सकते है। बहुत से ऐसे कई आरोपी है जिसके बारे में सरकार या प्रशासन को जानकारी भीनहीं होती है। बहुत सारे मौको पर अधिकारीवर्ग सरकार की छोटी-मोटी गड़बड़ियोँ को ही आगे करते है और उसकी आड़ में बड़े भ्रष्टाचार के प्रकरण को आसानी से दबादिया जाताहै ।

भारतीय समाज में फैले भ्रष्टाचार के कारण

पारदर्शिता का अभाव :भारतीय समाज में फैले भ्रष्टाचार के कारणोंमें से एक कारणसरकारी प्रक्रियाओं में देरी , निर्णय लेने में हिचकिचाहट और सार्वजनिक प्रशासन में पारदर्शिता का आभाव भ्रष्ट आचरण को बढ़ावा देने के लिये अधिक अवसर प्रदान करती

है। जब सरकारी कार्यों तथा निर्णयों को सार्वजनिक जाँच से प्रभावित किया जाता है, तो सरकारी अधिकारी कम जोखिम के साथ भ्रष्टाचार की गतिविधियों में अधिक संलिप्त हो सकते हैं।

अप्रभावी कानूनी ढाँचा एवंप्रभावहीन संस्थाएँ:भ्रष्टाचार के फैलने से रोकने के लिए कानूनों और विनियमों को लागू करने वाली कई संस्थाएँ या तो कमज़ोर हैं या फिर समझौतावादी हैं। कानून प्रवर्तन एजेंसियाँ, न्यायपालिका और निरीक्षण निकाय आदि इसके उदाहरण हैं। इसका मुख्य कारण यह है कि कमज़ोर संस्थाएँ भ्रष्ट व्यक्तियों के प्रति कोई भी कार्यवाई करने में विफल हो सकती हैं जिससे कि भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता हैं।भ्रष्ट व्यक्तियों को दंड से मुक्ति की धारणा एवं अपर्याप्त सज़ा भ्रष्टाचार को और अधिक बढ़ावा देती है। भ्रष्टाचार करने वाले अधिकारियो को जब यह विश्वास हो जाता है कि वे कानून की एक सामान्य प्रक्रिया से गुजर कर दंड से बच सकते हैं, तो उनके भ्रष्ट गतिविधियों में शामिल होने की संभावना और अधिक बढ़ जाती है।

वेतन में असंगति : असंगत वेतन भ्रष्टाचार को प्रोत्साहन देते है सार्वजनिक क्षेत्र के अधिकारियों के वेतन में अंतर पाया जाता है,जिससे कि भ्रष्टाचार में वृद्धि होने के अवसर बढ़ जाते है,उदहारणस्वरुप, निचले स्तर के पदों पर आसीन लोगों का वेतन कम है जो उन्हें रिश्वतखोरी और भ्रष्ट आचरण के प्रति अधिक संवेदनशील बना सकता है|क्योंकि असंगत वेतन के कारण वे भ्रष्टाचार को अपनी आय के एक पूरक साधन के रूप में देखते हैं।

लंबी और जटिल नौकरशाही प्रक्रियाएँ:नौकरशाही एवं लालफीताशाही का प्रभावभी भ्रष्ट आचरण को बढ़ावा देता है | अत्यधिक लंबी और जटिल नौकरशाही की प्रक्रियाएँ तथाउनके द्वारा बनाये गए अत्यधिक नियम व्यक्तियों को इन प्रक्रियाओं में तेज़ी लाने या इन बाधाओं को दूर करने के लिये भ्रष्ट आचरण में शामिल होने हेतु प्रोत्साहित करते हैं।भारत का जटिल आर्थिक वातावरण, जिसमें लाइसेंस, परमिट से लेकर अनुमोदनतक शामिल हैं, भ्रष्टाचार के पनपने को अवसर प्रदान करते हैं। आम आदमी से लेकर अधिकारी वर्ग तक सब इस समस्या से छुटकारा पाने के लिये रिश्वतखोरी का सहारा लेते हैं।जिससे कि भ्रष्टाचार की समस्या और विकराल रूप धारण कर सकती है|

राजनीतिक हस्तक्षेप:प्रशासनिक मामलों में राजनीतिक हस्तक्षेप को भ्रष्टाचार के बढ़ने का एक कारण माना जा सकता है|सरकार के द्वारा राजनीतिक हस्तक्षेप के चलते सरकारी संस्थानों को अपनी स्वायत्तता को बनाये रखने के लिए सरकार के साथ समझौता करने को मजबूर होना पड़ता है। बहुत सारे राजनेता व्यक्तिगत या दल के लाभ के लिये अधिकारियों पर भ्रष्ट गतिविधियों में शामिल होने का दबाव डाल सकते हैं।जिससे भ्रष्टाचार का कद और लम्बा हो सकता है|इससे न केवलप्रशासनिक कार्य में देरी होती है अपितु फाइलों की मंज़ूरी में देरी भ्रष्टाचार का मूल कारण बनती है क्योंकि आम नागरिकों को फाइलों की शीघ्र मंज़ूरी के लिये दोषी अधिकारियों और प्राधिकारियों को रिश्वत देने के लिए मजबूर होना पड़ता है।सत्ता के पुजारी वाले समाज में सरकारी अधिकारियों के लिये नैतिक आचरण से डगमगाना आसान होता है।भ्रष्टाचार की इस समस्या को रोकने के लिये सरकार के द्वारा कई तरह के कानून बनाए गए हैं लेकिन उनके कमज़ोर प्रवर्तन ने भ्रष्टाचार को रोकने में बाधा के रूप में कार्य किया है।

सामाजिक एवं सांस्कृतिक असमानता: कुछ उदहारण में भ्रष्ट आचरण के लिए सामाजिक असमानता और सांस्कृतिक असमानता की स्वीकृति हो सकती है| यह न केवल विभिन्न वर्गों में भ्रष्टाचार को को बढ़ावा देती है बल्कि भ्रष्टाचार को बनाये भी रखती है। एक आम धारणा लोगो के मध्य यह प्रचलित है कि "हर कोई ऐसा करता है" व्यक्तियों को अपने नैतिक व्यवहार से समझौता किये बिना भ्रष्टाचार में शामिल होने के लिये बाध्य कर सकता है। इतना ही नहीं ,सामाजिक और आर्थिक असमानताएँ भी भ्रष्टाचार को बढ़ावा देती हैं, क्योंकि धनी और शक्तिशाली वर्ग व्यक्ति को अपने बल का उपयोग अधिमान्य उपचार प्राप्त करने तथा बिना किसी परिणाम के भ्रष्ट आचरण में संलग्न होने के लिये कर सकते हैं।

सिविल सेवा का राजनीतिक हस्तक्षेप: सिविल सेवको के द्वारा जब अपने पदों का उपयोग राजनीतिक समर्थन एवं इसे सम्बंधित किसी पुरस्कार के रूप में किया जाता है अथवा रिश्वत के स्थानांतरण के लिए किया जाता है, तो शीर्ष स्तर पर भ्रष्टाचार के अवसर बहुत हद तक बढ़ जाते हैं।निजी क्षेत्र की तुलना में सिविल सेवकों का वेतन असंगत हो सकता है इसीवेतन में अंतर को कम या पूरा करने के लिये कुछ कर्मचारी रिश्वत का सहारा लेते हैं।जिसे कि भ्रष्टाचार स्तर बढ़ जाता है|

भारतीय सविधान में भ्रष्टाचार केनिवारण के हेतु पहल

केंद्रीय सतर्कता आयोग (Central Vigilance Commission),1964:केंद्रीय सतर्कता आयोगको सरकार ने फरवरी 1964 में स्थापित किया था जिसे बाद में संसद द्वारा अधिनियमित केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम, 2003 द्वारा सांविधिक दर्जा प्रदान किया गया।यह आयोग भ्रष्टाचार या कार्यालय के दुरुपयोग से संबंधित शिकायतें सुनता है और इस दिशा में उपयुक्त कार्रवाई की सिफारिश करता है।

भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (Prevention of Corruption Act),1988

इस अधिनियम के अंतर्गत लोक सेवकों द्वारा किये जाने वाले भ्रष्टाचार के संबंध में दंड का प्रावधान है|इसके अतिरिक्त इस अधिनियम के तहत उन लोगों के लिये भी दंड का प्रावधान किया गया है जो भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने में शामिल हैं।वर्ष 2018 में इस अधिनियम को संशोधित करके यह प्रावधान किया गया कि रिश्वत लेना और रिश्वत देना दोनों ही अपराध की श्रेणी मेंआते है।

धन शोधन निवारण अधिनियम (Prevention of Money Laundering Act), 2002

इस अधिनियमका उद्देश्य भारत में धन शोधन (Money Laundering) के मामलों पर रोक लगाना और आपराधिक आय के उपयोग पर पूर्णत प्रतिबंध लगाना है।इसमें अधिनियम में धन शोधन के अपराध के लिये सख्त दंड का प्रावधान किया गया है, जिसमें 10 साल तक की कैद की सजा और आरोपी व्यक्तियों की संपत्ति की कुर्कीभी शामिल है।

कंपनी अधिनियम (The Companies Act), 2013

कॉर्पोरेट क्षेत्र को स्वनियमन का अवसर देकर इस क्षेत्र में भ्रष्टाचार और धोखाधड़ी की रोकथाम करना शामिल है। 'धोखाधड़ी' शब्द को व्याकप रूप मेंपरिभाषित किया गया है, इसे कंपनी अधिनियम के तहत एक दंडनीय अपराध माना गया है।विशेषकर धोखाधड़ी से जुड़े मामलों के लिये भारत सरकार के कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय (Ministry of Corporate Affair) के द्वारा गंभीर धोखाधड़ी जाँच कार्यालय (Serious Frauds Investigation Office) की स्थापना की गई है, जो सफेदपोश (White Collar) और कंपनियों में अपराधों से निपटने हेतु ज़िम्मेदार है। इतना ही नहीं भारतीय दंड संहिता (The Indian Penal Code- IPC), 1860 में रिश्वत, धोखाधड़ी और आपराधिक विश्वासघात से संबंधित मामलों को शामिल किया गया है।

विदेशी विनियमन अधिनियम, 2010

यह अधिनियम व्यक्तियों, संगठनों और कंपनियों को विदेशी योगदान की मंज़ूरी और उसके उपयोग को विनियमित करता है।विदेशी योगदान को प्राप्त करने से पहले गृह मंत्रालय की स्वीकृति की आवश्यकता होती है| बिना गृह मंत्रालय की स्वीकृति के इस तरह के अनुमोदन को विदेशी योगदान की प्राप्ति के लिए अवैध माना जा सकता है।

लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम (The Lokpal and Lokayukta Act), 2013:

लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम (The Lokpal and Lokayukta Act), 2013 में केंद्र और राज्य दोनों सरकारों के लिये दोनों स्तरों पर एक लोकपाल की स्थापना का प्रावधान किया गया है।इन दोनों संस्थाओ को सरकार के नियंत्रण से स्वतंत्र रूप से कार्य करने की स्वतंत्रता दी गई है|यही कारन है कि इसे लोक सेवकों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की जाँच करने का अधिकार प्रदान किया गया है, इतना ही नहीं इसके दायरे में प्रधानमंत्री तथा अन्य मंत्री भी शामिल हैं।

भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018

भारतीय संसद द्वाराभ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 2018 पारित किया गया, जिसनेमौजूदा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 में संशोधन किया और महत्वपूर्ण बदलाव लाए।अन्य परिवर्तनों के अतिरिक्त , संशोधन अधिनियम ने रिश्वत देने को एक विशिष्ट श्रेणी का अपराध बना दिया है और रिश्वतखोरी के कृत्यों के लिए कॉर्पोरेट आपराधिक दायित्व की अवधारणा पेश की है।इसके अतिरिक्तकॉरपोरेट बचाव का दावा कर सकते हैं यदि यह साबित हो सके कि उनसे जुड़े व्यक्तियों को ऐसा कुछ भी करने से रोकने के लिए पर्याप्त प्रक्रियाएं मौजूद थीं जो भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत अपराध हो सकता है।संशोधन अधिनियम में एक नया प्रावधान किया गया है जिसमें कि पुलिस अधिकारियों को अब भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत एक लोक सेवक द्वारा किए गए अपराध की जांच करने के लिए संबंधित सरकारी प्राधिकरण से पूर्व अनुमोदन की आवश्यकता होती है।

भ्रष्टाचार की रोकथाम हेतु उपाय

यदि भ्रष्टाचार पर समय रहते नियंत्रण नहीं लगाया गया तो इससे समाज में आपराधिक गतिविधि और संगठित अपराध को बढावामिल सकता है| लेकिन भारत सरकार के द्वारा ऐसे कई कदम उठाये गए हैं जो इसे प्रबंधित करने में मददगार साबित हो सकते हैं| भ्रष्टाचार को रोकने के लिए उठाए जा सकने वाले संभावित कदमों का निम्नलिखित प्रकार से उल्लेख किया गया है|

भारतीय संस्कृति को प्रोत्साहन देना –यह बात सर्विदित है कि जब तक अंग्रेजी शिक्षा के माध्यम से पाश्चात्य संस्कृति प्रचारित होती रहेगी तब तक भ्रष्टाचार कम नहीं हो सकता है। अतः भ्रष्टाचार को कम करने ले लिए सबसे पहले भारतीय भाषाओं में विशेषरूप से संस्कृत में शिक्षा प्रदान करना अनिवार्य करनी होगी। भारतीय भाषाएं जीवन मूल्यों की प्रचारक और पृष्ठपोषक मानी जाती हैं। ऐसी शिक्षा से न केवल भारतीयों में धर्म का भाव सुदृढ़ होगा बल्कि लोग धर्मार्थी और इमानदार बनेंगे।

भारतीय जीवन मूल्यों के प्रति समर्पित चुनाव पद्धति - वर्तमान चुनाव-पद्धति में परिवर्तन करके एक ऐसी पद्धति अपनानी पड़ेगी जिसमें जनता स्वयं अपनी इच्छा से भारतीय जीवन मूल्यों के प्रति समर्पित, ईमानदार व्यक्तियों को खड़ा करके, बिना कोई धन को व्यय करके अपनी पसंद के प्रतिनिधि को चुन सके। ऐसे निर्वाचित लोग जब विधायक या संसद सदस्य बनेंगे, तो वे ईमानदारी और देशभक्ति का आदर्श उदहारण जनता के समक्ष रखकर स्वच्छ प्रशासन दे सकेंगे।अपराध या अपराधिक प्रवृति वाले व्यक्तियो को चुनाव लड़ने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए|इसके अतिरिक्त जो विधायक या सांसद अवसरवादिता के कारण दल -बदल की राजनीति अपनाता है उनकी सदस्यता समाप्त कर उस व्यक्ति को फिर से चुनाव में खड़े होने की प्रक्रिया पर रोक लगानी होगी। जाति और धर्म के नाम पर वोट मांगने वालों को चुनाव प्रक्रिया से ही प्रतिबंधित कर दिया जाना चाहिए। जब चपरासी और चौकीदार के लिए भी योग्यता निर्धारित होती है। तब विधायकों और सांसदों के लिए भी निश्चित योग्यता का होना अनिवार्य होना चाहिए|

अनुचित प्रतिबंधों को समाप्त करना - सरकार ने कोटा-परमिट के हजारों प्रतिबंध लगा रखे हैं, उससे व्यापार बहुत बुरा प्रभाव पडता है। इसका सीधा प्रभाव यह पढता है कि व्यापारियों को विभिन्न विभागों में बैठे अधिकारियो को खुश करने के लिए अनेक प्रकार के भ्रष्ट हथकंडो को अपनाना पडता हैं। जिसके कारण ऐसी स्थिति बन जाती है कि भले और ईमानदार लोग व्यापार को शुरू ही नहीं कर पाते है । अगर सरकार के द्वारा ये प्रतिबन्ध समाप्त किये जाते है तो इन प्रतिबंधों के ख़तम होने से व्यापार में योग्य लोग आगे आएंगे। जिससे स्वस्थ प्रतियोगिता को प्रोत्साहन मिलेगा और जनता को अच्छा माल उचित दर पर आसानी से मिल सकेगा। इतना ही नहीं सरकार ने अनेको प्रकार के कर लगा रखे हैं। जिनके बोझ के कारण व्यापार पनप नहीं पाता। परिणाम स्वरुप व्यापारी को अनैतिक तरीको को अपनाने के लिए विवश होना पड़ता है। अतः सरकार को अनेक प्रकार के करों को समाप्त करके कुछ गिने चुने कर ही लगाने चाहिए। इन करों की वसूली प्रक्रिया भी इतनी सरल और निभ्रांत हो कि अशिक्षित या अल्पशिक्षित व्यक्ति भी अपना कर बिना किसी दुविधा के जमा कर सकेंऔर वे भ्रष्ट साधनों अपनाने के लिए बाध्य ना हो।

शिक्षा-पद्धति को देश प्रेम से प्रेरित करना - सबसे महत्वपूर्ण है कि वर्तमान शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन कर उसे देशभक्ति को केंद्र में रखकर फिर से स्थापित किया जाए। विद्यार्थी को, चाहे वह किसी भी धर्म, संप्रदाय,क्षेत्र का का पालन करता हो उससे पहली

कक्षा से ही देशभक्ति के बारे में पढ़ाया जाना चाहिए। इसके लिए हमारीसंस्कृति, इतिहास, भारतीय महापुरुषों के जीवन आदि के बारे पाठ्यक्रम तैयार करके विद्यार्थी को अपने देश की विरासतों,इसकी परंपराओं एवं मान्यताओं पर गर्व करना सिखाया जाना चाहिए।

प्रचलित कानून को और कठोर बनाना- भ्रष्टाचार के विरुद्ध कानून को भी अधिक सख्तबनाने की आवश्यकता है इसके लिए आम नागरिको के बीच चर्चा का केंद्र बना लोकपाल विधेयक भी भारत जैसे देश के लिए जहां प्रत्येक स्तर पर भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारी ही व्याप्त हैं के लिए काफी नही है।भ्रष्टाचार को रोकने के लिए किसी भी रुप में संबद्ध व्यक्तियों का सामाजिक बहिष्कार किया जाना चाहिए, अर्थात लोग उनसे किसी भी प्रकार का संबंध ना रखें। यह उपाय भ्रष्टाचार रोकने में बहुत सहायक सिद्ध होगा।

निष्कर्ष

भ्रष्टाचार बेईमान व्यवहार का एक ऐसा रूप है जिसका हर नागरिक,अधिकारी पर बड़ा प्रभाव डालता है।ऐसी स्थिति तब उत्पन्न होती है जब समाज एक शक्तिशाली वर्ग सरकार एवम राज्यों द्वारा दी गई शक्ति का दुरुपयोग अपने लाभ के लिए करता है|भ्रष्टाचार कई रूपों में शामिल हो सकता है रिश्वत, दोहरा व्यवहार और व्यक्तियों, व्यवसायों और सरकारों द्वारा धोखाधड़ी आदि इसमें शामिल है| इस बुराई का लोगों के सामाजिक, आर्थिक और वित्तीय कल्याण पर बहुत नकारात्मक प्रभाव पड़ता है| भ्रष्टाचारलोकतंत्र की बुनयादी नींव को खतरे में डाल सकता है, जिससे लोगों का न केवल अपने नेताओं पर से भरोसा उठ सकता है अपितु उनका तंत्र से भी अलगाव हो जाता है | अतः भ्रष्टाचार को रोकने के लिए नियंत्रण और संतुलन बनाना अति महत्वपूर्ण है|भ्रष्टाचार को जड़ से ख़तम करने के लिए जनता का शिक्षित होना अति आवश्यक है |एक मजबूत एवं सकारात्मक वातावरण का होना जरूरी है जिसके द्वारा एकलेखांकन तंत्र स्थापित किया जा सके , जिसमें कि नियमों को लागू करना , रिपोर्टिंग के रास्ते खोलना और इन रिपोर्टों को बनाने वालों की सुरक्षा सुनिश्चित प्रदान करना सरकार का उतरदायित्व होना चाहिए।भ्रष्टाचार के आरोपों एवं आरोपियों के लिए दंड का प्रावधान होना चाहिए जिसमे जुर्माना और अभियोजन सहित दंड लागू करना भी महत्वपूर्ण हो ।

सन्दर्भ-सूची

1. रमेश के.अरोरा एंड रजनी गोयल, “इंडियन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन: इंस्टिट्यूटीउशन एंड इश्यूज,” विश्वा प्रकाशन, नई दिल्ली,1996
2. तरुण कुमार, “करप्शन इन एडमिनिस्ट्रेशन: इवेलवेटिंग द कौटिल्यन एंटीसदेंट्स”, मनोहर परिकर रक्षा अध्यनन एवं विश्लेषण संस्थान,नई दिल्ली, 2012
3. बिबेक दोबरय एंड लवीश भंडारी, “करप्शन इन इंडिया:डी एन ए एंड द आर एन ए” कोणार्क पब्लिशर्स,इंडिया ,2012
4. बिबेक दोबरय एंड लवीश भंडारी, “करप्शन इन इंडिया:डी एन ए एंड द आर एन ए” कोणार्क पब्लिशर्स,इंडिया ,2012
5. एस. पी. मनचंदा, “इम्ब्रेस योर ओन पावर टु फाइट करप्शन,” गुल्लीबाबा पब्लिशिंग हाउस प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली, 2020
6. निरंजन साहू, “भ्रष्टाचार के खिलाफ़ भारत की जंग: एक लंबी लड़ाई,”आब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन,दिसम्बर, 2022
7. अंजना खेर, “भारत में भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचार निवारण की व्यवस्था: एक अध्यनन,”श्रृखला एक शोधपरक वैचारिक पत्रिका,वॉल्यूम 5.अंक 11,जुलाई-2018
8. एम् पी जैन एंड एस एन जैन, “प्रिंसिपल्स ऑफ़ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ,” वाधवा एंड कंपनी, लॉ पब्लिशर्स नागपुर ,1993
9. स्मिंत यू, “ करप्शन: काउसेस ,कांसेक्वुएन्केस एंड क्योरज”, एशिया-पसिफ़िक डेवलपमेंट जर्नल, वॉल्यूम 7, न.2 दिसम्बर ,2000
10. जोगिन्दर सिंह, “ गोवेर्न्मेंट मस्ट टेक स्ट्रोंग स्टेप्स अगेंस्ट करप्शन, बट सिटीजन्स शुड आल्सो स्पीक आउट एंड स्टैंड उप अगेंस्ट करप्शन,”. द पायनियर, 11 जनवरी 2012
11. सी.के जैन (एड.), “कांसटीटीउशन ऑफ़ इंडिया : इन परसेप्ट एंड प्रैक्टिस,”न्यू दिल्ली, लोक सभा सेक्रेटेरिएट,1992

12. एल. एम् . सिंघवी, “इंडियन कांसटीटीउशन: द ट्रिस्ट एंड उन्फिनिशेड टास्क,” न्यू दिल्लीलोक सभा सेक्रेटेरिएट,1992
13. रंजनी रंजन झा, “ लोकयुकता-द इंडियन ओम्बड्समैन,” ऋषि पब्लिकेशन्ज, वारानसी, 1990
14. गुर्हर्पल सिंह, “ ग्लोबल करप्शन रिपोर्ट,” साउथ-एशिया, प्रोफाइल बुक्स लन्दन, 2003.
15. प्रणब बर्धन,“करप्शन एंड डेवलपमेंट: ए रिव्यु ऑफ़ इशू”, जर्नल ऑफ इकोनॉमिक लिटरेचर, वॉल्यूम. 35, अंक. 3 सितंबर, 1997
16. वीटो तंजी, “करप्शन अराउंड द वर्ल्ड:काउसेस,कोन्सेक्युएन्सेस,स्कोप एंड क्योर,” आई.ऍफ़. ऍम .स्टाफ पपेर, ए क्वार्तेली जर्नल ऑफ़ आई.ऍफ़. ऍम, वॉल्यूम. 45, अंक. 4, दिसंबर 1998
17. अनिल कुमार विश्वकर्मा,“द इंस्टिट्यूशं ऑफ़ लोकपाल इन इंडिया:एक्सप्लोरिंग द विज़िबिलिटी टू अरेस्ट करप्शन”, जेननेक्स्ट पब्लिकेशन ,2016
18. प्रमोद कुमार अग्रवाल, “भ्रष्टाचारः चर्चित कहानियां”, किताब महल प्रकाशन, 2016
19. अरविन्द वर्मा और रमेश शर्मा ,“लोकपाल और लोकायुक्त: ए क्रिटिकल एग्जामिनेशन ,” कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस 13,नवंबर 2018
20. अरविन्द वर्मा और रमेश शर्मा,“कोम्बटिंग करप्शन इन इंडिया”, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस; प्रथम संस्करण, 2019
21. बसंतीलाल बाबेल , “भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988” ईस्टर्न बुक कंपनी पब्लिशर्स, 2005
22. प्रो. अभय सक्सेना, “करप्शन इन इंडिया: काउसेस एंड सलूशनज,” अनामिका पब्लिशर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर, प्राइवेट लिमिटेड, 2007
23. जी एस भार्गव, “इंडियाज वाटरगेट: ए स्टडी ऑफ़ पोलिटिकल करप्शन इन इंडिया,” अर्नोल्ड-हेनीमैन पब्लिशर्स,1974, पेज न.29-30
24. पाध्या, के.एस. , “करप्शन इन पॉलिटिक्स : ए केस स्टडी,” बी.आर. पब्लिशिंग कॉर्पोरेशन, नई दिल्ली1986
25. “इंडिया करप्शन स्टडी 2008,” ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल इंडिया मैगजीन,नई दिल्ली

International Research Journal
IJNRD
Research Through Innovation